

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1) श्री नवल गंझू पिता- श्री जुगेश्वर गंझू 2) श्री प्रकाश गंझू पिता- श्री जुगेश्वर गंझू 3) श्री गगन गंझू (नाबालिग) पिता- श्री जुगेश्वर गंझू 4) श्री वीरबल कुमार (नाबालिग) पिता- श्री जुगेश्वर गंझू 5) श्री बलकु गंझू पिता- स्व. धनेश्वर गंझू 6) श्री मुना गंझू पिता- स्व. धनेश्वर गंझू 7) श्री राजू गंझू पिता- स्व. धनेश्वर गंझू 8) श्रीमती सुनीता देवी पिता - बैजू गंझू पति- लालू गंझू 9) श्री अजय गंझू (नाबालिग) पिता- स्व. नरेश गंझू ग्राम- चमातु, थाना- बालूमाथ, जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातु, थाना सं.-56, थाना- बालूमाथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) ग्राम- चमातु (रैयती भूमि) खाता सं. 77 के अधीन प्लॉट स. 55, 97, 126, 133, 149, 179, 174, 183, 233, 397, 398, 410, 1403, 1487, 1492, 1496, 1486, 1521, 1372/2692, खाता सं. 78 के अधीन प्लॉट स. - 75, 78, 79, 80, 92, 93, 103, 144, 178, खाता सं. 75 के अधीन प्लॉट स. - 220, 385, 420, 232, 427, 1377, 1481, खाता सं. 76 के अधीन प्लॉट स. - 1400, 1512 कुल रकबा - 18.00 एकड़ (i.e. 18.00 एकड़ रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

दिशु कुमार
१४/१२/२०२२